41

प्रारूप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रसतावो में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector------------

No--- 8   Dated ----- 9-9-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of nights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act,2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.0744... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ESTABLISHMENT NO 22 CHAKRATA (D.DUN) (Name of user agency) for Water Supply Line Along Chakrata Funi Road from Jadi to Chakrata (Purpose for diversion of forest land) in ..Dehra Dun......... District falls within jurisdiction of ....village(s) in ...Chakrata...... tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.... Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure............ to.......................... Annexure...........................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand   Office of the District Collector------------

No--- 7   Dated ----- 9.9.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of nights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.0744... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ESTABLISHMENT NO22 Chakrata........(name of user agency) for Water Supply Line Along Chakrata Tuni Road From Jadi to Chakrata...... (purpose for diversion of forest land) in ...Dehra Dun.......... district falls within jurisdiction of .... Village in ...Chakrata......... tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.... Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure............ to......................... Annexure.........................

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vermacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any,having understood the purpose and details of proposed diversion a copy of certificate issued by the garm sabha of ....Mungarh........ Villages(s) is enclosed as annexure .... to annexure....................

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members og Gram Sabha Present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून ।

43

प्रारूप–30.1

परियोजना का नाम :–Water Supply Line along Chakrata, Tyuni Road Jadi to Chakrata of Shifting of existing Pipe Line from Km.70.750 to 72.825 of NH 707A in the State of Uttarakhand.

कार्यवृत्त

प्रत्रांकः– 9 /सक./वन अधि0अधि0/2018–19 दिनांकः 9.9.2019

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय–समय पर संशोधित) के धारा–6(5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0. 11–09/98–FC(Pt) दिनांक 09–08–2000 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 30.8.19 द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्हीं अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के संबंध में चर्चा व विचार–विमर्श हुआ।

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत जाडी से चकराता पेयजल योजना के स्थानान्तरण (निर्माण) हेतु 0.0744 है0 वह भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु Estt.No.22 Chakrata, Dehradun को वन भूमि हस्तानन्तरणः–

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6(1) के अनुसार मंगाड (भंगाड) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 2.10.18 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुंनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की 6(3) के प्राविधानुसार उप जिलाधिकारी चकराता की अध्यक्षता में गठित उप जिला स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनांक 6.8.19 विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में परम्परागत वन निवासी से संबंधित समुदाय का कोई Right व Settlement की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं होगा।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया। अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, चकराता। प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता	जिलाधिकारी देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून।

44

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ---D.Dun.(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ..Dehradun.. district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs~~/Miss C. Ravishankar I.A.S deputy commissioner,. .... on dated 30.8.19. at time ....at .... in which application claiming rights in 0.0744 Hec. area measuring .... hect for the construction of Water Supply Line... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Chakrata sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;......D.Dun.
Dated:....9.9.19

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकारी
देहरादून।

35

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम –जाडी से चकराता पाईप लाईन

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ––चकराता

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ––––––––

उपखण्ड –––––– परिक्षेत्र के अन्तर्गत –––––––––––––––––––––– –––––––––––– (0.0477 हे0 आरक्षित वन भूमि, X हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि X हे0 वन पचायत भूमि, अर्थात कुल 0.0477 हे0 वन भूमि) का Ext. No 22 Chakrata प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–चकराता–) की दिनांक –––––––––– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ––––––––––, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री Dr. Apoorva Singh उप जिलाधिकारी –––––––––––––– अध्यक्ष
2– श्री मुकेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी –––––––––––––– सदस्य
3– श्री –––––– सहायक समाज कल्याण अधिकारी –––––––– सदस्य/सचिव
4– श्रीमती ललीता बी0डी0सी0 क्षेत्र जाडी मुंगाड –––––––– सदस्य

ललिता देवी

उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी चकराता

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि –––
जाडी से चकराता पाईप लाईन परियोजना हेतु 0.0744 हे0 वन भूमि ––––––––––––––––––––––––– प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता (वन प्रभाग) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत जाडी से चकराता पाईप लाईन परियोजना के निर्माण हेतु 0.0744 हे0 वन भूमि Ext. No 22 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– Chakrata
जनपद Uttarakhand

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– Chakrata
जनपद Uttarakhand

उप जिलाधिकारी चकराता जिला देहरादून

क्षेत्र पंचायत सदस्य मुगांड
ह0.. ललिता देवी
दि0...
विकास खण्ड चकराता (देहरादून)

प्रारूप–30.3

परियोजना का नाम :– जाडीसे चकराता पाईप लाईन

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुगाड़

तहसील चकराता जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत जाडीसे चकराता परियोजना के निर्माण हेतु (0.0744 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि – हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 0.0744 हे0 वन भूमि का Est. NO 22 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुगाड़ द्वारा दिनांक 22-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुगाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि Est NO 22 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 [signature]	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पं. मुगाड़ वि.खं. चकराता जनपद देहरादून	प्रधान ग्राम पंचायत मुगाड़ ह0 सुनीता देवी दि0 वि0ख0 चकराता जिला देहरादून

[signatures:] फतेह सिंह, सन्तराम, नरेश, कलीआ, दौलतु, Bishan Singh पूर्व प्रधान, कुन्दन सिंह, चन्दन सिंह, Chauhan, प्रताप सिंह